# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग
### ।। अधिसूचना ।।

**संचिका संख्या–18/विविध–05/2022–1131 (18) स्वा०, पटना, दिनांक– 30/05/2025**

भारत सरकार के सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 {The Surrogacy regulation Act 2021} की धारा 26, 27 एवं सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (The assisted reproductive technology (Regulation) act, 2021) की धारा 6 के आलोक में राज्य स्तरीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड (Surrogacy Board) के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त के आलोक में इस अधिनियम एवं नियमावली के सफल एवं सुचारू कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड (Surrogacy Board) का गठन निम्न रूपेण किया जाता है :–

राज्य स्तरीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड (Surrogacy Board) :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार | **अध्यक्ष (पदेन)** |
| 2. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार | **उपाध्यक्ष (पदेन)** |
| 3. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी, महिला एव बाल विकास विभाग, बिहार सरकार | **सदस्य (पदेन)** |
| 4. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार | **सदस्य (पदेन)** |
| 5. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी, विधि एव विधायी कार्य विभाग, बिहार सरकार | **सदस्य (पदेन)** |
| 6. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी, गृह विभाग, बिहार सरकार | **सदस्य (पदेन)** |
| 7. | निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार सरकार | **सदस्य (पदेन)** |
| 8. | तीन माननीय महिला विधायक, बिहार विधान [illegible] सदस्य | |
| | a. **श्रीमती शालनी मिश्रा,** सदस्य, माननीय [illegible] केसरिया, पूर्वी चम्पारण | **सदस्य (पदेन)** |
| | b. **श्रीमती निवेदिता सिंह**, सदस्य, माननीय [illegible] परिषद, रोहतास | **सदस्य (पदेन)** |
| | c. **श्रीमती श्रेयसी सिंह,** सदस्य, माननीय [illegible], जमुई | **सदस्य (पदेन)** |

| | | |
|---|---|---|
| | राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप नियुक्त निम्नांकित क्षेत्रों के दस (10) विशेषज्ञ सदस्य : | |
| | a अनुवांशिकीविद (Eminent Medical Geneticists) या भ्रुण विज्ञानी (Embryologist) | |
| | (i). **डॉ० संगीता** Embryologist, IGIMS, Patna | **सदस्य** |
| | (ii). **डॉ० दयानिधि कुमार,** Embryologist, Indian IVF Group | **सदस्य** |
| | b स्त्री एव प्रसूति रोग विशेषज्ञ (Eminent Gynecologists and obstetricians) | |
| | (i). **डॉ० मंजू गीता मिश्रा,** भूतपूर्व प्रोफेसर, पी०एम०सी०एच०, पटना | **सदस्य** |
| | (ii). **डॉ० स्मृति स्पर्श,** मुख्य सलाहकार, नोवा, आई०वी०एफ०, दानापुर, पटना | **सदस्य** |
| | c. सामाजिक विज्ञानी (Eminent Social Scientists) | |
| 9. | (i). **डॉ० रीता शर्मा,** साकेत बिहार, मित्र मडल कॉलोनी, अनिशाबाद, पटना। बेटी बचाओ, बेटी पढाओ से जुडी समाजिक कार्यकर्ता। | **सदस्य** |
| | (ii). **श्रीमती अनुराधा गुप्ता, समाज सेवी,** भूतपूर्व अध्यक्ष नगर परिषद सिवान। | **सदस्य** |
| | d. महिला कल्याण सगठन के प्रतिनिधि (Representatives of women welfare organizations) | |
| | (i). **पद्म श्री डॉ० शांति राय,** कंकडबाग, पटना। | **सदस्य** |
| | (ii). **श्रीमती सीमा पाण्डेय,** समाज सेवी (महिला सशक्तिकरण), फ्लैट न०–301, विमला इन्क्लेव, गौरैया मठ, मीठापुर, पटना। | **सदस्य** |
| | e. महिला स्वास्थ्य एव बाल विकास के क्षेत्र मे कार्य कर रहे प्रतिनिधि (Representatives from civil society working on women's health and child issues) | |
| | (i) **श्रीमती मंजू सिन्हा,** गुलमोहर मैत्री सस्था | **सदस्य** |
| | (ii) **श्रीमती शशि बलडिहार,** महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री, परशुराम नगर कॉलोनी पटना सचिव विधान सभा, पटना। | **सदस्य** |
| | विशेष सचिव/अपर सचिव/सयुक्त सचिव (विषय–प्रभारी), स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार | **सदस्य (पदेन)** |
| 10 | (i) अपर [illegible] प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–18, स्वास्थ्य विभाग, बिहार स… | |

**कार्य :—**

**(1)** राज्य मे क्रियाशील समुचित प्राधिकार (Appropriate authority) के कार्यो का अनुश्रवण तथा समीक्षा करना। उनके विरूद्ध पाये गये शिकायतो पर समुचित कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना।

**(2)** सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एव सहयता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानो और इसके तहत् बनाये गये नियमो और विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा/निगरानी करना तथा समुचित प्राधिकार/बोर्ड को इससे संबंधित समुचित अनुशंसा करना।

**(3)** उक्त अधिनियम के तहत् राज्य मे निष्पादित विभिन्न गतिविधियों/कार्यो के संबंध मे केन्द्र सरकार को समेकित प्रतिवेदन भेजना।

**(4)** ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर विहित किया जाय।

**(5)** अध्यक्ष द्वारा समय—समय पर दिये गये कार्यो को उपाध्यक्ष के द्वारा सम्पादन किया जायेगा।

**(6)** सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एव सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 के प्रावधानो के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्णय लेना।

**बैठक :—**

**(1)** बैठक की कार्यवाही प्रत्येक चार माह पर की जायेगी।

**(2)** अध्यक्ष स्वय उक्त सभी प्रकार के बैठकों के अध्यक्षता करेगें उनके अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष बैठक की कार्यवाही का संचालन करेंगे

**कार्यकाल :—**

क्रमाक (09) मे उल्लेखित [illegible] कार्यकाल नियुक्ति के उपरान्त तीन वर्षो का होगा। एव क्रमाक (08) में उल्लेखित [illegible] का कार्यकाल भी तीन वर्ष होगा। इस बीच

क्रमांक (8) मे उल्लेखित किसी सदस्य के द्वारा यदि राज्य मंत्री/मंत्री/विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पदधारित किया जाता है तो उनकी सदस्यता समाप्त की दी जायेगी।

तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान यदि विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो वैसी स्थिति मे भी बोर्ड से इनकी सदस्यता समाप्त मानी जायेगी।

**उक्त प्रारूप एवं प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय एवं विभागीय माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।**

30/5/2025
सचिव।

**ज्ञापांक :–**18/विविध–05/2022– 1131......(18) स्वा०, पटना, दिनांक–30/05/2025

**प्रतिलिपि :–**माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/सभी विभागों के प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार बिहार के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–**उप सचिव, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–**ए०आर०टी० एवं सरोगेसी प्रभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

30/5/2025
सचिव।

**बिहार सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग**

## ।। अधिसूचना ।।

संचिका संख्या 18/विविध- 05/2022-.1130.(18) स्वा०, पटना, दिनांक-30/05/2025

भारत सरकार के सहायक जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 12(2) एवं सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 35(2) में प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत उक्त अधिनियमो के सुसगत प्रावधानो के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा 12(3) एव धारा 35(3) मे प्रदत्त प्राविधानों के के अनुसार राज्य मे समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) का गठन निम्न रूपेण किया जाता है –

**समुचित प्राधिकार :–**

| क्र० सं० | समिति के पदाधिकारियों का पदनाम | पद |
|---|---|---|
| 1. | सयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार अथवा इनसे अन्यून स्तर के अधिकारी<br>(i) विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार अथवा इनसे अन्यून स्तर के अधिकारी<br>(i) निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना। | उपाध्यक्ष (पदेन) |
| 3. | राज्य सरकार के विधि विभाग से मनोनीत उप सचिव अथवा इनसे अन्यून स्तर के अधिकारी<br>(i) श्री कृष्ण कुमार लाल,उप सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 4. | प्राविधानित महिला सगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रख्यात महिला<br>(i) श्रीमती मजू सिन्हा, गुलमोहर मैत्री संस्था। | सदस्य |
| 5. | एक विशेषज्ञ पजीकृत चिकित्सा व्यवसायी।<br>(i) श्री अशुतोष सिह, श्री साई होस्पीटल, कंकडबाग, पटना,बिहार। | सदस्य |

**कार्य :–**

(1) सरोगेसी क्लिनिकों का पंजीकरण प्रदान करना, निलंबित करना या रद्द करना।

(2) सरोगसी क्लिनिकों को नियम के तहत् मानक के अनुरूप लागू करवाना।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानो के तहत् बनाये गये नियमो एवं विनियमनों के उल्लंघन की शिकायतों की जॉच करना तथा प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई करना।

(4) किसी व्यक्ति के द्वारा, स्वप्रेरणा से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त संज्ञान के आलोक मे सरोगेसी के उपयोग के खिलाफ स्वतंत्र जॉच का उचित कानूनी कार्रवाई किया जाना।

(5) बोर्ड/राज्य स्तरीय बोर्ड के द्वारा प्रौद्योगिकी या सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नियमों एवं विनियमनों मे आवश्यक संशोधन करने हेतु अनुशंसा करना।

(6) सरोगेसी क्लिनिक के विरूद्ध पाये जाने वाले शिकायतो पर जॉचोपरान्त कानूनी कार्रवाई किया जाना।

**उक्त प्रारूप एवं प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय एवं विभागीय माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।**

सचिव। 30/5/25

**ज्ञापांक** :–18/विविध–05/2022–1130..(18) स्वा०, पटना, दिनांक–30/05/2025

**प्रतिलिपि** :–उप सचिव, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :–माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/सभी विभागो के प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार बिहार के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एव स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :–ए०आर०टी० एव सरोगेसी प्रभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव। 30/5/25